न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

170/2013
सीएमएस : 2013/00154
1. बलराम पुत्र बहादरराम जति कुम्हार साकिन 59 आरबी कुम्हारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. लालचन्द्र पुत्र बहादरराम जति कुम्हार साकिन 59 आरबी कुम्हारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।

—:वादीगण

बनाम

1. साधुराम पुत्र श्री रूकमाल जति कुम्हार साकिन 59 आरबी कुम्हारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 22.07.2013

उपस्थितअधिवक्तागण
श्री राजाराम धारणियां अधिवक्ता वादीगण
श्री अजीत कुमार सुथार अधिवक्ता प्रतिवादीगण

—: निर्णय :— दिनांक : 20.09.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 59 आरबी के मु.नं. 17 खतौनी नं. 82 नयी व 76 पुरानी पत्थर नं. 169/265 में कि.नं. 5–6–15–16–25/1 व 25/2 में इसी चक के मुरब्बा नं. 18 पं.नं. 169/266 के कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 में कुल 0.987 है. बारानी व 2.644 हैक्टर नहरी रकबा प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त खाता में है। जमाबंदी संवत 2066 से 2069 अनुसार वादीगण का हिस्सा इस प्रकार है कि लालचन्द्र 1/6 हिस्सा व बलराम 1/3 हिस्सा व साधुराम का 1/2 हिस्सा है। यह कि इस रकबा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपना–अपना हिस्सा इस प्रकार से बांटा हुआ है कि मुनं. 17 मे लालचन्द्र व बलराम का क्रमशः हिस्सा 1/3 व 2/3 संयुक्त रूप से कि.नं. 5 में 0.070 है. बारानी पूर्वी हिस्सा, कि.नं. 6 में 0.126 बारानी पूवी हिस्सा में कि.नं. 15 मे 0.127 है. बारानी पूर्वी, कि.नं. 16 मे 0.126 है. बारानी पूर्वी, कि.नं. 25/2 मे 0.045 है. बारानी पूर्वी, व कि.नं. 25/1 में 0.082 है. नहरी पूर्वी व मु. नं. 18 के कि.नं. 4 में 0.202 है. नहरी, कि.नं. 5 में 0.228 है. 6 में 0.253 है., 7 में 0. 228 है. 14 में 0.076 है. 15 में 0.253 है. नहरी कुल 1.240 है. नहरी जिसमें वादीगण लालचन्द्र का 1/3 व वादी बलराम का 2/3 हिस्सा है। इसके अलावा प्रतिवादी सं. 1 साधुराम का शेष हिस्सा बनता है। जो कुल 1.240 है. बनता है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से जमाबंदी में दर्ज है और भूमि के संबंध में जब वादीगण द्वारा भूमि का आबयाना, लगान आदि जमा करवाना होता है या किसी प्रकार के ऋण अथवा अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही करनी होती है तो रकबा संयुक्त होने के कारण अनेकों असुविधाओं का सामना करना पड़ता है व व्यर्थ की कार्यवाही लम्बी हो जाती है और वादीगण किसी भी सुविधा का लाभ प्राप्त करने में विफल रहते है। इसके अलावा उपरोक्त प्रकार से हम वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 के द्वारा जो विभाजन कर अपना–अपना कब्जा काश्त कर रखा है उसमें भी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आये दिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा फरसाद करते है जबकि यह विभाजन भूमि की किस्म के अनुसार अनुपातिक रूप से किया हुआ है व इस प्रकार विभाजन कर अपने–अपने हिस्से की वादीगण ... मेहनत व रूपयालगाकर भूमि उर्वरा शक्ति को बढाया है और समतल ... कर ... को सुधारा है जिस कारण भूमि की कीमत में उत्तरोतर बढ़ोतरी हुई है इसी ... प्रतिवादी सं. 1 के मन मे लालच आ गया है और वादीगण की ... हुई भूमि ... हड़पना चाहता है। वादीगण ने इन परिरिथतियों को देखते हुए ... राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

AnyScanner

करवाने के लिए प्रतिवादी सं. 1 को कहा परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने विभाजन करवाने से मनाह कर दिया क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 यह विभाजन होने के बाद अपने नाजायज इरादों मे सफल नहीं हो पायेगा। और अगर प्रतिवादी सं0 1 अपने इन कुटिल इरादों में सफल हो जाता है तो वादीगण को कभी ना पुरा होने वाला नुकासान होगा, क्योकि वादीगण को ऐसी भूमि पुनः मिलना संभव नहीं होगा। यह वादीगण के परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन है जिससें वादीगण वंचित हो जायेगें जिससें अपरिमित क्षति होगी। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को खाता का विभाजन कब्जा–काश्त अनुसार उपरोक्त प्रकार से किये जाने का प्रस्ताव रखा व विभाजन को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने का आग्रह किया परन्तु प्रतिवादी ने ऐसा करवाने से स्पष्ट रूप से दिनांक 17.05.2013 को बमुकाम 59 आरबी कुम्हारांवाली में यह कहकर इन्कार कर दिया कि उन्हे जरूरत नहीं है आपको है तो करवा लों यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्तमत है। वादीगण के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 2 भू–धारक है एवं राजस्थान सरकार के लिए राजस्व वाद में प्रतिनिधी होने के कारण उनकों आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया हैं वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे कि वाके चक 59 आरबी के मु.नं. 17 खतौनी 82 नयी व 76 पुरानी पं.नं. 169/265 के कि.नं. 5 में 0.070 है. बारानी पूर्वी हिस्सा, कि.नं. 6 में 0.126 बारानी पूवी हिस्सा में कि.नं. 15 मे 0.127 है. बारानी पूर्वी, कि.नं. 16 मे 0.126 है. बारानी पूर्वी, कि.नं. 25/2 मे 0.045 है. बारानी पूर्वी, व कि.नं. 25/1 में 0.082 है. नहरी पूर्वी में वादी लालचन्द्र का 1/3 हिस्सा व बलराम का 2/3 हिस्सा का व मु.नं. 18 पं.नं. 169/266 के कि.नं. 4 में 0.202 है. नहरी, कि.नं. 5 में 0.228 है., 6 में 0.253 है., 7 में 0.228 है., 14 में 0.076 है. 15 में 0.253 है. नहरी कुल 1.240 है. जिसमें 1/3 हिस्सा लालचन्द्र का व 2/3 हिस्सा बलराम का 1.240 है. मे संयुक्त रूप से व इसी प्रकार 1.240 है. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से विभाजन करके पृथक–पृथक खाता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से श्री अजीत कुमार सुथार अधिवक्ता ने वकलातनामा पेश किया। इसी के साथ जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवारा कभी नहीं हुआ। उल्लेखित बंटवारा में मिन प्रतिवादी को विवादित भूमि वाके चक 59 आरबी के पं.नं. 169/265 मु.नं. 17 के कि.नं. 5/0.139 है., 6 सालम, 15/0.101 है. 0: 494 है. बारानी व कि.नं. 25/1 की 0.082 है. नहरी एवं पं.नं. 169/266 मु.नं. 18 के कि.नं. 4/0.228है., 7/0.253है. 14/0.253है. 17/0.253 है. 24/0.253 है. कुल 1.322 है. नहरी कुल 1.816 है. नहरी–बारानी कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ। जिस पर मिन प्रतिवादी निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है और वर्तमान में भी मिन प्रतिवादी के कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण से प्रतिवादी को घरेलू बाहमी बंटवारा में उसके हिस्सा अनुसार ऊपर वर्णित कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा विधिक रूप से करवाते हुये खाता विभाजन के बार–बार अनुरोध के बावजूद वादीगण विभाजन को तैयार नहीं हुये। वे मेरे द्वारा तैयार की गई ऊपजाऊ भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिसे अन्तर्गत ही वादीगण ने मिथ्या आधारों पर वाद पेश किया है दिनांक 17.07.2013 को वादीगण ने मिन प्रतिवादी से सम्पर्क नहीं किया तो अन्य बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वादीगण को मिन प्रतिवादी के विरूद्व कोई बिनाये दावा बिनाये मुखासमत हासिल नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा जवाब दावा मय का[illegible] भूमि वाके चक 59 आरबी के पं.नं. 169/265 मुनं. 17 के 1.11[illegible] बा[illegible]–नहरी व पं. नं. 169/266 मु.नं. 18 की 2.480 है. न[illegible] का 1/2 हिस्सा अर्थात 1.816 है. नहरी–बारा[illegible] लालचन्द्[illegible]/6 हिस्सा व बलराम का 1/3 हिस्सा है। वादीगण व मिन प्रतिवादी के मध्य आपस में काफी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (राजस्व)
[illegible]

अरसा पूर्व आपसी सहमति रजामंदी से घरेलू तोर से विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा किया गया। जिसके अनुसार मिन प्रतिवादी को हिस्सा 1/2 हिस्सा अनुसार चक 59 आरबी के पं.नं. 169/265 मु.नं. 17 के कि.नं. 5/0.139 है., 6 सालम, 15/0.101 है. 0.494 है. बारानी व कि.नं. 25/1 की 0.082 है. नहरी एवं पं.नं. 169/266 मु.नं. 18 के कि.नं. 4/0.228है., 7/0.253है. 14/0.253है. 17/0.253 है. 24/0.253 है. कुल 1.322 है. नहरी कुल 1.816 है.नहरी–बारानी का कब्जा प्राप्त होकर मिन प्रतिवादी के कब्जा काश्त में निरन्तर व लगातर चला आ रहा है और वर्तमान में भी मिन प्रतिवादी के कब्जा काश्त में है शेष रकबा वादीगण को उनके हिस्सा अनुसार प्राप्त होकर उनके कब्जा काश्त में है। उक्त काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायालय पर स्पष्ट से अंदर मियाद पेश है अतः जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद वादगण मौजूदा स्तर पर मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जाकर काउंटर क्लेम बहक मिन प्रतिवादी विरूद्व वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे। जवाब दावा मय काउंटर क्लेम शामिल मिसल किया गया। राजस्थान सरकार की तरफ से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित है कि उक्त प्रकरण पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का है जिससे राज्य सरकार की भू धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। इसमें कोई राजकीय हित निहित नहीं है।

3. उक्त प्रकरण में दिनांक 14.8.2019 को उक्त विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि का पक्षकारान की मौजूदगी में भूमि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./22/195 दिनांक 16.01.2023 के अनुसार बलराम पुत्र बहादरराम 1/2 हिस्सा, रवीनणीदेवी पत्नि लालचन्द, राजेन्द्र कुमार –राजेश कुमार पि. लालचन्द , अन्जूवाला पुत्री लालचन्द 1/2 हिस्सा जाति कुम्हार सा. देह,खातेदार के हिस्सा में वाके चक 59 आरबी के पं.नं. 169/265 मु.नं. 17 के कि. न. 5/0.078,उत्तरी पासा 15/0.066 दक्षिणी पासा 16/0.240, 25/2 के .084 है. बारानी , 25/1 के 0.078 नहरी, कुल .0.546है.नहरी/बारानी व मु.न. 18 कि.न. 5/.228, 6/.253, 15/.253, 16/.253, 25/.253 कुल 1.240 है. नहरी कुल तादाद 1.786है. नहरी/बारानी भूमि। खातेदार लालचन्द की मृत्यु हो चुकी है । इसलिए विभाजन प्रस्ताव वारिसों के दर्ज किये गये। प्रतिवादी साधूराम पुत्र रूकमाल जाति कुम्हार सा. देह खातेदार का 1/2 हिस्सा के नाम वाके चक 59 आरबी के पं.नं. 169/265 मु.नं. 17 के कि.न. 5/0.054, 6/.240, 15/0. 174उत्तरी पासा, 25/1 के 0.078है.नहरी उत्तरी पासा कुल 0.546है. नहरी/बारानी एवं मु.न. 18 के कि.न. 4/.228, 7/.253, 14/.253, 17/.253, 24/ .253 कुल 1.240है.नहरी कुल 1.786 है. नहरी/बारानी भूमि। उक्त भूमि में से रास्ते के उपभोग हेतु इसी चक के मु.न. 17 के कि.न. 5/.007, 6/.013, 15/. 013, 16/.013, 25/.013 कुल 0.059 है.नहरी/बारानी भूमि संयुक्त रूप में छोड़ी गई है। मौका नक्शा सहित प्रस्ताव भूमि का प्राप्त हुआ। उक्त भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 पर सम्बधित पक्षकारान के अधिवक्ता का सुना गया । उक्त भूमि विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकारान ने कोई एतराज नहीं किया । ऐसे में तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्राप्त भूमि विभाजान प्रस्ताव दिनांक 16. 01.2023 के अनुसार वादीगण का वाद–पत्र डिकी किये जाने हेतु सहमति दी है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया । उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 के अनुसार वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर वंटवारा किये जाने की निवेदन किया है। उभयपक्षकारगण व तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त पालना रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

रायसिंहनगर के द्वारा प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाने हम उचित समझते है।

–:आदेश:–

अत अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि वाके चक 59 आरबी के पं.नं. 169/265 मु.नं. 17 के कि.न. 5/0.078,उत्तरी पासा 15/0.066 दक्षिणी पासा 16/0.240, 25/2 के .084 है.बारानी, 25/1 के 0.078 नहरी, कुल 0.546 है.नहरी/बारानी व मु.न. 18 कि.न. 5/.228, 6/.253, 15/.253, 16/.253, 25/.253 कुल 1.240 है. नहरी कुल तादाद 1.786 है. नहरी/बारानी भूमि। खातेदार लालचन्द की मृत्यु हो चुकी है । इसलिए विभाजन प्रस्ताव वारिसों के दर्ज किये गये। प्रतिवादी साधूराम पुत्र रूकमाल जाति कुम्हार सा. देह खातेदार का 1/2 हिस्सा के नाम वाके चक 59 आरबी के पं.नं. 169/265 मु.नं.17 के कि.न. 5/0.054, 6/.240, 15/0.174 उत्तरी पासा , 25/1 के 0.078 है.नहरी उत्तरी पासा कुल 0.546 है.नहरी/बारानी एवं मु.न.18 के कि.न. 4/.228, 7/.253, 14/.253, 17/.253 ,24/.253 कुल 1.240है.नहरी कुल 1.786 है. नहरी/बारानी भूमि। उक्त भूमि में से रास्ते के उपभोग हेतु इसी चक के मु.न. 17 के कि.न. 5/.007, 6/.013, 15/.013, 16/.013, 25/.013 कुल 0.059 है.नहरी/बारानी भूमि संयुक्त रूप में छोड़ी गई है। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्व किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेखभण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner